bordering districts;

(b) if so, the steps taken on the matter; and

(c) whether any study has been done so far, in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) A request from the Government of Tamil Nadu was received in August 1993 for harnessing the surplus water of west flowing rivers of Kerala especially the Pamba-Achankovil-Vaigai Link.

(b) and (c) The National Water Development Agency (NWDA) has carried out water balance studies of various west flowing rivers of Kerala to assess the quantity of surplus/deficit waters with a view to plan interbasin transfer of water from surplus to deficit basins after meeting in-basin requirements in the ultimate stage of development. The NWDA has also prepared a feasibility report of the Pamba-Achankovil-Vaippar Link. The feasibility report has been sent to the States of Kerala and Tamil Nadu. The implementation of the proposal depends upon the Understanding/Agreement between the States of Kerala and Tamil Nadu.

खनन क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकृष्ट किया जाना

1183. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन क्षेत्र में निवेश करने वाली विदेशी कम्पनियों को सरकार द्वारा क्या-क्या रियायतें दी गयी हैं और क्या ये रियायतें "गैट" करार में उल्लिखित रियायतों जैसी हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी कम्पनियों के लिए कौन-कौन से क्षेत्र खनन के लिए खोले गये हैं और उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) इस क्षेत्र में देश के निजी क्षेत्र को भी प्रवेश की अनुमति दी जायेगी; और

(घ) क्या विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों को यह बताया गया कि देश में उच्च और मध्यम श्रम वर्ग के 25 करोड़ लोग हैं जिनकी उपभोक्ता वस्तुओं की वार्षिक जरूरत 25 अरब अमरीकी डालर के बराबर है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमंग): (क) खनन क्षेत्र में निवेश करने वाली विदेशी कम्पनियों को कोई अलग से रियायत नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 द्वारा निजी क्षेत्र की भारतीय और विदेशी दोनों कम्पनियों द्वारा गवेषण और विदोहन के लिए 13 खनिजों अर्थात् लौह अयस्क तांबा, मैगनीज, सीसा, क्रोम अयस्क, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम, स्वर्ण, टंगस्टन अयस्क, हीरा, निकिल और प्लेटिनम समूह की धातुओं को अनारक्षित किया गया है।

(घ) चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम दिनांक और स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, यह सत्यापित करना सम्भव नहीं है कि कभी ऐसा बयान दिया गया था।

कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें

1184. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग ने वर्ष 1996-97 में रबी की फसल के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 380 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तथा छः महीने बाद बेचने वाले किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (घ) 1996-97 में विपणित की जाने वाली वर्ष 1995-96 की रबी फसलों (गेहूं सहित) के लिए मूल्य नीति पर सरकार विचार कर रही है।